मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०२५

मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, १९७६ के निरसन हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (निरसन) अधिनियम, २०२५ है.

निरसन और व्यावृत्तियां.

२. (१) मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २६ सन् १९७६) निरसित किया जाता है.

(२) इस अधिनियम द्वारा निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई कोई बात पर प्रभाव नहीं डालेगा, या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी बाध्यता या दायित्व पर, या उपरोक्त किसी बाध्यता या दायित्व के संबंध में की गई कोई विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा, और ऐसी कोई विधिक कार्यवाही या उपचार जारी या प्रवृत्त रखे जा सकेंगे, मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क तथा सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराने, समान अवसर के आधार पर न्याय के संप्रवर्तन के लिए विधिक व्यवस्था के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु, विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने और लोक अदालतें आयोजित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,१९८७ (१९८७ का ३९) अधिनियमित किया गया था. अतएव, केन्द्रीय अधिनियम के अस्तित्व में आने के पश्चात्, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २६ सन् १९७६) अनावश्यक हो गया है. अतएव, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २६ सन् १९७६) निरसित किया जाना प्रस्तावित है. विधेयक में एक समूचित व्यावृत्ति खण्ड सम्मिलित किया गया है. अधिनियमित हो जाने पर, यह उपयोगहीन तथा अप्रभावी विधियों को कम करेगा और उनके लिए जिनके लाभ के लिए विधियां अधिनियमित की गई हैं, स्पष्टता लाएगा.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १ अगस्त, २०२५.

गौतम टेटवाल
भारसाधक सदस्य.